भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †41

सोमवार, 25 नवंबर, 2024/4 अग्रहायण, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

क्रूज पर्यटन

†41. श्री जी.एम. हरीश बालयोगी:
श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:
श्री मगुंटा श्रीनिवासुलू रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में अंतर्देशीय और तटीय क्षेत्रों सहित क्रूज पर्यटन के लिए संभावित मार्गों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया है और यदि हां, तो आंध्र प्रदेश राज्य सहित राज्य-वार इसका ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा देश भर में, विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा देश भर में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश राज्य में ऐसे क्रूज पर्यटन के लिए उठाए गए कौशल विकास पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे क्रूज पर्यटन के विकास के लिए निवेश आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों/पहलों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने बजट 2024-25 में घोषित क्रूज पर्यटन के संबंध में सरल कर व्यवस्था का निर्माण किया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) क्या सरकार ने विभिन्न निकायों के बीच समन्वय के लिए राष्ट्रीय क्रूज पर्यटन बोर्ड और राष्ट्रीय समन्वय निकाय गठित करने की योजना बनाई है/बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (छ): क्रूज पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों के विकास और संवर्धन की जिम्मेदारी मुख्यत: संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासन की है।

अपनी चालू गतिविधियों के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय सोशल मीडिया और वेबसाइटों सहित विभिन्न माध्यमों से क्रूज पर्यटन सहित एक समग्र पर्यटन गंतव्य के रूप में भारत का नियमित रूप से संवर्धन करता है।

भारत में क्रूज पर्यटन के विकास के लिए एक सक्षम ईको सिस्टम सृजित करने के समन्वित प्रयासों हेतु पर्यटन मंत्रालय और पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा सभी प्रमुख पत्तनों के प्रतिनिधियों और स्टेकहोल्डरों के साथ संयुक्त रूप से क्रूज पर्यटन पर एक कार्यबल का गठन किया है।

पर्यटन मंत्रालय, 'पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक योजना के तहत पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त होने पर क्रूज पर्यटन और रिवर क्रूजिंग सहित पर्यटन विकास के लिए केन्द्र सरकार की एजेंसियों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करता है।

इसके अतिरिक्त, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकास के लिए 15 विषय आधारित परिपथों में से एक तटीय परिपथ को चिह्नित किया है।

जैसा कि पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा सूचित गया है कि देश में ऐसे क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं/पहलें की गई हैं:

(i) बर्थिंग के लिए, कार्गो जहाज की तुलना में क्रूज जहाजों को प्राथमिकता दी गई है;
(ii) मानक पत्तन प्रभारों और नाममात्र के यात्री कर के साथ युक्ति संगत क्रूज टैरिफ लागू किया गया है। इसके अतिरिक्त, पत्तन प्रशुल्क में कॉलों की संख्या के आधार पर 10% से 30% तक की छूट का प्रावधान भी किया गया है।
(iii) क्रूज जहाजों को आकर्षित करने के लिए आउटस्टिंग प्रभारों को हटा दिया गया है।
(iv) विदेशी क्रूज जहाजों के लिए कैबोटेज को हटा दिया गया है। इस छूट से विदेशी क्रूज जहाजों को घरेलू यात्रा के दौरान भारतीय नागरिकों को एक भारतीय बंदरगाह से दूसरे भारतीय बंदरगाह तक ले जाने की अनुमति मिल गई है।
(v) ई-वीजा और आगमन पर वीजा की सुविधाएं प्रदान की गई है।
(vi) विदेश जाने वाले जहाजों के लिए तटवर्ती यात्रा जहाज में परिवर्तित होने पर सशर्त आईजीएसटी में छूट को मंजूरी दी गई है, यह छूट छह माह के भीतर उनके फिर से विदेश जाने वाले जहाज़ों के रूप में पुन: परिवर्तित हो जाने की शर्त पर दी गई है।
(vii) पत्तन, सीमा शुल्क, आप्रवासन, सीआईएसएफ, पोर्ट की स्थिति, क्रूज एजेंट, क्रूज टर्मिनल ऑपरेटर, राज्य सरकार, पर्यटन बोर्ड आदि जैसे विभिन्न स्टेकहोल्डरों द्वारा

एक समान और पूर्व-निर्धारित सेवाओं के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) कार्यान्वित की गई है;

(viii) सिंगल ई-लैंडिंग कार्ड की शुरुआत की गई है जो क्रूज यात्रा कार्यक्रम में सभी पत्तनों के लिए मान्य है।

(ix) क्रूज भारत मिशन सितंबर, 2024 में शुरू किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय 'सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण (सीबीएसपी)' योजना के अंतर्गत मांग आधारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करता है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में गैर-निवासियों के घरेलू क्रूज जहाज प्रचालन के लिए एक प्रकल्पित कर व्यवस्था लागू की गई है। इसके अतिरिक्त, भारत में ऐसे जहाजों का प्रचालन करने वाली संबंधित कंपनी से लिए गए क्रूज जहाजों के लीज़ रेंटल से विदेशी कंपनी को होने वाली किसी भी प्रकार की आय पर छूट प्रदान की जाती है। इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44बीबीसी और धारा 10 के खंड (15ख) में जोड़कर प्रभावी बनाया गया है।

*****